

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण कमांक 09/2013 वैवाहिक

चंदन सिंह उर्फ हरीशंकर पुत्र माधो प्रसाद
जाति कुशवाह आयु 24 साल निवासी
वार्ड न. 12 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----चायिका कर्ता/आवेदक
बनाम

श्रीमती रानी देवी पुत्री लाखन सिंह पत्नी चंदन
सिंह उर्फ हरीशंकर आयु 23 साल निवासी वार्ड
न. 12 गोहद, हाल निवासी गोमती की फडी
गोपाल नमकीन के सामने लश्कर ग्वालियर
म0प्र0

-----गैरयाचिका कर्ता/अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता
अनावेदिका एकपक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिका कर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 16.02.2010 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन अचलेश्वर न्यास ग्वालियर से सम्पन्न हुआ था। विवाह

उपरांत अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होकर उसके यहाँ रहने लगी। कुछ समय तक वह ठीक से रही, फिर अक्सर गोहद से अपने माता-पिता के घर चली जाती थी और गोहद में आवेदक के साथ केवल 2-4 दिन रहती थी और अपने माता-पिता के साथ ग्वालियर में ही अधिकतर निवास करती थी। दिनांक 15.05.2012 को अनावेदिका को उसकी माँ और चचेरा भाई अपने साथ आवेदक की गैर मौजूदगी में ले गए और उस समय वह अपने साथ जेबरात आदि लेकर बिना बताए चली गई। तत्पश्चात् वह आवेदक के पास कभी-भी रहने के लिए नहीं आई। आवेदिक का पिता अनावेदिका को लेने उसके जाने के 8 दिन बाद गया था, लेकिन अनावेदिका उसके साथ नहीं आई और न ही उसके घर वालों ने उसे भेजा। उसके घर वाले कहने लगे कि उसके लिए अन्य लडका देख लिया है, साथ नहीं भेजेगें। इसके अतिरिक्त यह भी कह रहे थे कि 20,000/- रूपए दे दो तो लडकी को भेजेगें। इसके पुनः 4-5 दिन बाद आवेदक अनावेदिका को लेने के लिए गया, लेकिन इस बार भी वह उसके साथ नहीं आई। इसके उपरांत आवेदक अपने साथ मलखान, ब्रजेश एवं मानसिंह को लेकर के अनावेदिका को लेने उसके घर गया था, किन्तु घर वालों ने उसे नहीं भेजा और यह कहने लगे कि लडकी का दूसरी जगह विवाह करेगें और उसे नहीं भेजेगे। अनावेदिका आवेदक के द्वारा बुलाए जाने के उपरांत भी नहीं आ रही है। जबकि आवेदक उसे रखने के लिए आज भी तैयार है। अनावेदिका से आवेदक को एक लडकी भी है जो कि 17-18 माह की है, उसे भी अनावेदिका अपने पास रखे हुए है। इस प्रकार आवेदक को पत्नी सुख से बंचित किया गया है। अनावेदिका एवं आवेदक गोहद में रहते थे और गोहद से ही अनावेदिका गई है। इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा समंस जारी किए जाने के उपरांत दिनांक 29.07.13 को न्यायालय में उपस्थिति हुई, किन्तु इसके उपरांत दिनांक 08.10.14 को वह न्यायालय में उपस्थिति नहीं रही। उसकी अनुपस्थिति होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05. याचिकाकर्ता/ आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का तथा माधो आ.सा. 2 एवं हरीराम आ.सा. 3 के शपथपत्र पेश किए हैं। आवेदक चंदन उर्फ हरीशंकर के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए

बताया है कि उसका विवाह अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ एवं विवाह उपरांत अनावेदिका उसके यहाँ रहने हेतु आने और अनावेदिका से उसकी लडकी होना, अनावेदिका का बार-बार अपने माता-पिता के यहाँ बिना बताए चले जाना तथा दिनांक 15.05.2012 को भी अनावेदिका अपनी माँ एवं चचेरे भाई के साथ उसकी गैर मौजूदगी में चले जाना और साथ में जेबरात ले जाना भी बताया है। साक्षी के अनुसार उसके उपरांत से अनावेदिका उसके साथ रहने के लिए नहीं आ रही है। उसका पिता और वह अनावेदिका को लिवाने के लिए गए तो उसके घर वालों ने नहीं भेजा और वह भी नहीं आई। उसके घर वाले यह कह रहे थे कि लडकी का विवाह दूसरी जगह कर देंगे, आवेदक के साथ नहीं भेजेगें। इस प्रकार अनावेदिका ने उसे दाम्पत्य अधिकारों से बंचित कर रखा है।

06. आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के आधार पर उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन अखण्डनीय रहे है। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

07. आवेदक हरीशंकर उर्फ चंदन के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षीगण माधो आ.सा. 2 जो कि आवेदक का पिता है और हरीराम आ.सा. 3 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे है।

08. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक चंदन उर्फ हरीशंकर का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षीगण माधो आ.सा. 2 एवं हरीराम आ.सा. 3 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है।

09. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह स्वयं एवं अपनी नावालिक पुत्री के साथ आवेदक के पास पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन

करेंगे।

३-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताबिक जो भी हो दी जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी०सी०थूपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड